वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

संख्याः4/2017/वे0आ0-2-191/दस-69(सामान्य)/2010

लखनऊ: दिनांक 28 फरवरी 2017

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-वे0आ0-2-3075/दस-69(सामान्य)/2010 दिनांक 31 मार्च 2011 द्वारा वित्त वेतनमान (नियमावली एवं विधि) प्रकोष्ठ के लिये विभिन्न श्रेणी के कुल 15 पदों का सृजन किया गया। उक्त पदों का कार्यकाल कार्यालय-ज्ञाप संख्या-वे0आ0-2-155/दस-69 (सामान्य)/2010 दिनांक 12 फरवरी 2016 द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2017 तक के लिए बढ़ाया गया। उक्त सभी पदों की आवश्यकता विभाग में बनी हुयी है अतः राज्यपाल महोदय निम्नांकित सभी 15 पदों की निरन्तरता दिनांक 28 फरवरी 2018 तक के लिये यदि इसके पूर्व ही इन पदों को समाप्त न कर दिया जाय बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:--

क्र0सं0	पदनाम	पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स	पदों की सं0
1-	वरिष्ठ परामर्शदाता	लेबल-12 (रू0 78800-209200)	02
2-	विशेष कार्याधिकारी (नियमावली)	लेबल-11 (रू0 67700-208700)	01
3-	विशेष कार्याधिकारी (विधि)	लेबल-11 (रू0 67700-208700)	01
4-	शोध अधिकारी	लेबल-10 (रू0 56100-177500)	01
5-	समीक्षा अधिकारी	लेबल-8 (रू0 47600-151100)	02
6-	सहायक समीक्षा अधिकारी	लेबल-6 (रू0 35400-112400)	02
7-	कम्प्यूटर सहायक	लेबल-4 (रू0 25500-81100)	02
8-	अनुसेवक	लेबल-1 (रू0 18000-56900)	04
		कुल पदों की संख्या--	15

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उपर्युक्त पदों के पदधारकों (संविदा कर्मचारियों को छोड़ कर) को सम्बन्धित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के समतुल्य वेतन मैट्रिक्स में सादृश्य लेबल के अतिरिक्त मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते एवं सुविधाएं जो भी समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत किये जायें देय होंगे।

3- उपर्युक्त सृजित पदों पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-65 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-आयोजनेत्तर-105-विशेष जांच आयोग-03-राज्य आयोग और समितियॉ-0301-वेतन समिति का गठन के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्याः4/2017/वे0आ0-2-191(1)/दस-69(सामान्य)/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
3- वित्त (सेवाएं) अनुभाग-1
4- वित्त (सेवाएं) अनुभाग-4
5- इरला चेक अनुभाग उ0प्र0 शासन।
6- लेखाकार-कम कोषाध्यक्ष कार्यालय वेतन समिति (दो प्रतियों में)
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
8- सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-1/2/5/6

आज्ञा से
रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।